24

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 21 / 2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023 / 27

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज) बनाम

अभियुक्त :–
1. श्री प्रदीप पुत्र श्री रामचन्द्रजी जैन मैसर्स – भागचन्द्र खुशीराम किराणा स्टोर, नया बस स्टैण्ड, बांसवाडा
2. श्री रामचन्द्रजी जैन पुत्र श्री खुशीराम जी जैन मैसर्स – भागचन्द्र खुशीराम किराणा स्टोर, नया बस स्टैण्ड, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28–03–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 09–02–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **01–09–2022** को 11.30 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स – भागचन्द्र खुशीराम किराणा स्टोर, नया बस स्टैण्ड, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **प्रदीप पुत्र श्री रामचन्द्रजी जैन** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स भागचन्द्र खुशीराम किराणा स्टोर, नया बस स्टैण्ड, बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर **CHEWY TOFFEE (Brand- Alpenlieble) के 10 पैकेट जार प्रत्येक पैकेट 686.8 gm** आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **CHEWY TOFFEE (Brand- Alpenlieble) के 04 पैक जार** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 800 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **CHEWY TOFFEE (Brand- Alpenlieble) के पैक जार के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1191** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 12:19:06 IST
Reason: SelfAttested

(25)

करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/373–75 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 771 दिनांक 19–09–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **CHEWY TOFFEE (Brand- Alpenlieble)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1191** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **CHEWY TOFFEE (Brand- Alpenlieble)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–02–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28–03–2023 को अप्रार्थी सं. 1 तथा अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/373–75 दिनांक 17–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 771 दिनांक 19–09–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sweet Supari CHEWY TOFFEE (Brand- Alpenlieble)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1191** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **CHEWY TOFFEE (Brand- Alpenlieble)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री प्रदीप पुत्र श्री रामचन्द्रजी जैन मैसर्स – भागचन्द्र खुशीराम किराणा स्टोर, नया बस स्टैण्ड, बांसवाडा, श्री रामचन्द्रजी जैन पुत्र श्री खुशीराम जी जैन, मैसर्स – भागचन्द्र खुशीराम किराणा स्टोर, नया बस स्टैण्ड, बांसवाडा को रूपये 30000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 28–03–2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बासवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 11:13:06 IST
Reason: SelfAttested